# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 22/2023**

सुनीता ओला **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर (राज.)।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू (राज.)।
4. बी.सी.एम.ओ. चिडावा, जिला झुंझुनू (राज.)।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 02.01.2023
**आदेश की दिनांक** : 09.01.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री संदीप गरसा, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर कार्यालय बी.सी.एम.ओ., चिड़ावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, खुमानियों की ढाणी, जिला बाड़मेर किया गया है तथा आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 600 कि.मी. दूर किया गया है जो बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। आदेश दिनांक 05.06.2012 के द्वारा उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया था, तब से अपीलार्थी निरंतर अपनी संतोषजनक सेवाएं दे रहा है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के विपरीत

जाकर स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उसे यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर कार्यालय बी.सी.एम.ओ., चिड़ावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। चूंकि अपीलार्थी वर्ष 2012 से एक ही स्थान पर कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहां तक आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के विपरीत जारी किए जाने का प्रश्न है। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी तहसील स्तर पर पदस्थापित है। इस प्रकार उक्त नियम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आदि में नियम लागू होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

जहां तक अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए जनहित में किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल अनुज्ञेय है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**